# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
**(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)**

क्रमांकः रालस / 2015 / 07 दिनांक :– 18.03.2015

## परिपत्र

**विषयः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासियों के कल्याण के लिये बनाये गये कानून एवं योजनाओं के कियान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश।**

**********

हमारे देश में आजादी के 68 साल बाद भी जनजातियों एवं आदिवासियों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नही आपाया है। आज भी आदिवासी समाज में भारी अशिक्षा व गरीबी व्याप्त है। अंधविश्वास भरी अनेको कुरीतियॉ प्रचलित है। यद्यपि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासियों के कल्याण हेतु विशेष कानून एवं योजनाएं बनी हैं लेकिन कानूनी सलाह एवं कानूनी सहायता के अभाव में वे इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत विधिक सेवा संस्थाओं का दायित्व है कि समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की जावे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से भी समय–समय पर समाज के इन कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विधिक सेवा संस्थाओं के उपयोग हेतु निर्देश प्राप्त होते हैं अतः इन कानूनी दायित्वों के निर्वहन के क्रम में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशनुसार निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं :–

**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासियों के कल्याण हेतु बने कानूनों एवं योजनाओं का सघन प्रचार–प्रसार :–**

सभी अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला मुख्यालयों, तालुका मुख्यालयों पर गठित विधिक जागरूकता टीम (दो पैनल लॉयर एवं दो पैरा लीगल वॉलेन्टियरर्स) को निर्देशित करेगें कि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी क्षेत्रों में नियमितरूप से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करें। इस काम में लगी मोबाईल वैन को भी इन क्षेत्रों में भेजेंगें।

विधिक जागरूकता टीम इन पिछड़े वर्गों के लोगों को उनके लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी, उनकी शंकाओं व जिज्ञासाओं का समाधान करेंगी इस बाबत् सरल भाषा में छपे हुए पम्फलेट व अन्य सामग्री वितरित की जायेगी।

कुल मिलाकर सघन प्रचार–प्रसार के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जावेगा कि इस समाज का कोई भी पिछड़ा व्यक्ति जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से और उनके कल्याण के लिये बनाई गयी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे।

**उपरोक्त वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता :–**

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी लोगों के लिये कितनी भी आय होने पर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। अतः सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षगण यह सुनिश्चित करेंगें कि इस वर्ग के लोगों द्वारा या उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर होने पर उनके आवेदन पर तुरन्त निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जावे।

**कल्याणकारी कानूनों व योजनाओं का लाभ दिलाने में सलाह व सहयोग :–**

विधिक जागरूकता टीम , विधिक साक्षरता शिविरों के दौरान उपरोक्त वर्गों के कल्याण के लिये बनायी गयी योजनाओ की जानकारी के साथ–साथ इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये लोगों को निःशुल्क सलाह देगें। आवेदन करने में उनकी सहायता करेगें। विधिक सहायता क्लीनिक एवं विधिक सेवा संस्थाओं की जानकारी वाले पम्फलेट उपलब्ध कराते हुये उन्हें सूचित करेंगें कि किसी प्रकार की कठिनाई होने पर वे इन कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी लोगों के लिये बने कानून एवं योजनाओं का लाभ संबंधित वर्गों को दिलाने हेतु सरल भाषा में एक पुस्तिका तैयार की जा रही है जो यथाशीघ्र सभी अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।

**विधिक जागरूकता टीम का मानदेय :–**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूक्ता टीम के सदस्यों को उनके द्वारा किये गये कार्यों का प्रमाण प्राप्त कर किये गये कार्यों के अनुरूप निम्नानुसार मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक 8873–8790 दिनांक 2.7.2012 के अनुसरण में उपरोक्त कार्यों के लिये प्रतिदिन के हिसाब से विधिक जागरूकता टीम के पैनल अधिवक्ता को 500/– रूपये व पैरा लीगल वॉलेटियर को 250/–रूपये मानदेय प्रदान करें साथ ही उनके द्वारा वाहन की व्यवस्था किये

जाने पर 6/– प्रति किलोमीटर के हिसाब से आवागमन पर खर्च की गई राशि का भी भुगतान करें। मानदेय का भुगतान करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त करें :–

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विधिक जागरूकता टीम के सदस्यगण 1.....

.....2.....3.....4.....

ने ..... पर उपस्थित हुए और उन्होने कुल .....लोगों को उनके अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं के सम्बध में जानकारी एवं कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान की।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त वर्गों के प्रति संवेदनशील एवं यथा सम्भव संदर्भित कानूनों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को विधिक जागरूकता टीम में शामिल करें।

विधिक सेवाओं के लिये नियुक्त कनिष्ठ लिपिक द्वारा इस योजनाओं के संबंध में संलग्न प्रारूप में एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा व मासिक सूचना भी इसी प्रारूप में इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

**यह विवरण निम्न प्रोफार्मा में संधारित किया जायेगा:–**

| क्र.सं. | कार्यक्रम स्थल का विवरण | कार्यक्रम दिनांक व समय अवधि | कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण | कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

झा/